

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 858 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सन्दीप कस्बा पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. रामकुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. इन्द्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. नीतू पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
6. मोनिका पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री कुलदीप खुडिया अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 31/1/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 86/74 की कुल 19.5320हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 8097/195320हिस्सा एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 172/175 की कुल 3.4580हैक् एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 165/148 की कुल 6.3850हैक् में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 134/131 की कुल 1.265हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा नन्दराम पुत्र मंगलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा नन्दराम पुत्र मंगलाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज नन्दराम पुत्र मंगलाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज नन्दराम पुत्र मंगलाराम के देहान्त होने एवं


पखण्ड अधिकारी
नोहर

उसके पूर्वज नन्दराम पुत्र मंगलाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसाके /प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का दादा हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादीगण की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकवाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 86/74 की कुल 19.5320हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 8097/195320हिस्सा एवं रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 172/175 की कुल 3.4580हैक् एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 165/148 की कुल 6.3850हैक् में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 134/131 की कुल 1.265हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा नन्दराम पुत्र मंगलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा नन्दराम पुत्र मंगलाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज नन्दराम पुत्र मंगलाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पौत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा है जिसे अपने वाहगी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चरपा होते हैं अतः वादी का वाद डिग्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरगावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 86/74 की कुल 19.5320हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 8097/195320हिस्सा एवं रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 172/175 की कुल 3.4580हैक् एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 165/148 की कुल 6.3850हैक् में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 134/131 की कुल 1.265हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज नन्दराम वल्द मंगला के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज नन्दराम वल्द मंगला ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एच प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिफ्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिफ्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 86/74 की कुल 19.5320 हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 8097/195320 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 172/175 की कुल 3.4580 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 165/148 की कुल 6.3850 हैक् में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 134/131 की कुल 1.265 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिफ्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाक्वा दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/11/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सन्दीप करवा पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. भागीरथ पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
3. रामकुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
4. इन्द्रा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
5. नीतू पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
6. मोनिका पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 858 सन 2021 निर्णय दिनांक- 31/1/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 86/74 की कुल 19.5320हैक्ठ भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त तौर से 8097/195320हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 172/175 की कुल 3.4580हैक्ठ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 165/148 की कुल 6.3850हैक्ठ में 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी संख्या 2 वहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 134/131 की कुल 1.265हैक्ठ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/1/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)